<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 01/2020

1 शीशराम उम्र 34 साल पुत्र फुलाराम जाति गुर्जर निवासी झड़ाया नगर पंचलंगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 नेकीराम उम्र 49 साल
2 मदन लाल उम्र 44 साल
3 रामेश्वर लाल उम्र 40 साल पुत्रगण फुलाराम
4 सन्तुराम उम्र 57 साल पुत्र हनुमानाराम
5 बसन्ती देवी उम्र 54 साल पुत्री हनुमानाराम
6 छीतर उम्र 37 साल
7 गोकल उम्र 32 साल
8 निवासी उर्फ रामनिवास उम्र 26 साल
9 सरबती उम्र 44 साल
10 सजना उम्र 41 साल
11 मूली उम्र 29 साल पुत्रीगण भागीरथ
12 श्रवणी देवी पत्नी भागीरथ उम्र 69 साल
13 शांति देवी पत्नी मनोहर उम्र 46 साल
14 प्रकाश उम्र 37 साल
15 राजेन्द्र उम्र 22 साल पुत्रगण मनोहर
16 धोली उम्र 39 साल
17 हीरा उम्र 29 साल
18 किरण उम्र 26 साल
19 रोशन उम्र 20 साल पुत्रीया मनोहर
समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ढाणी ग्राम झड़ाया नगर तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।
20 श्योनादेवी पत्नी श्योकरण उम्र 49 साल
21 दाताराम उम्र 31 साल

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

22 कृष्ण उम्र 28 साल पुत्रगण श्योकरण
23 मनकोरी उम्र 34 साल
24 सुमन उम्र 25 साल पुत्रियां श्योकरण
25 घीसाराम उम्र 54 साल
26 गोकलचन्द उम्र 46 साल
27 भगवान सहाय उम्र 39 साल पुत्रगण छोटुराम
समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ढाणी बालाला की ग्राम झड़ावा नगर तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
28 बिमला देवी पत्नी मदनलाल जाति अहीर निवासी ग्राम सेफरागुवार तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज।
29 नानूड़ी पत्नी नाराणा उम्र 76 साल
30 महावीर उम्र 59 साल
31 सरदारा उम्र 49 साल पुत्रगण नाराणा
32 सुलतान उम्र 44 साल
33 ख्यालीराम उम्र 40 साल
34 महेन्द्र उम्र 34 साल पुत्रगण जमनाराम
35 जगीराम उम्र 54 साल
36 झाबर उम्र 51 साल
37 हजारी उम्र 48 साल पुत्रगण श्योचन्द
38 धापली पत्नी श्योचन्द उम्र 70 साल
समस्त जातिगण गुर्जर निवासीगण ढाणी बालाला की ग्राम झड़ावा नगर तन पंचलगी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।
39 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं राज.।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनाक 22.05.2019
न्यायालय एस.डी.ओ. उदयपुरवाटी उनवानी
मुकदमा रामेश्वर लाल बनाम नेकीराम वगै.
मु.नं. 458 / 2015

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुल्तान बाकोलिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अविनाश शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी एवं पदेन भू-प्रबन्ध अधिकारी, सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 7/5/26

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 458/2015 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3472, 3473, 3474, 4090/3107, 4091/3106, 4092/3105, 4093/1972, 4094/1975, 4095/1976, 4096/3803, 4097/3804, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 4064/3222 वाके ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पंचलंगी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी राजीनामें के आधार खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वाके ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पंचलंगी में भूमि खाता संख्या 46 पुराना 178 की भूमि खसरा नम्बर 3472 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 3473 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.56 है. कुल किता 3 का कुल रकबा 1.11 है. में से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 का 5/16, रेस्पोडेन्ट नं. 6 लगायत 12 का हिस्सा 1/16, रेस्पोडेन्ट नं. 25 लगायत 27 का 1/3 तथा रेस्पोडेन्ट 28 का हिस्सा 1/6 हिस्सा अवस्थित है तथा खाता सं. नया 44, पुराना 179 की भूमि खसरा नम्बर 4090/3107 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 4091/3106 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

4092/3105 रकबा 0.29 है., ख.नं. 4093/1972 रकबा 0.91 है., ख.नं. 4094/1975 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 4095/1976 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 4096/3803 रकबा 0.32 है., ख.नं. 4097/3804 रकबा 0. 41 है., कुल किता 8 कुल रकबा 3.48 है. में से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 5 का हिस्सा 5/64, रेस्पोडेन्ट नं. 6 लगायत 12 का हिस्सा 1/64, रेस्पोडेन्ट नं. 13 लगायत 19 का हिस्सा 1/64 रेस्पोडेन्ट नं. 20 लगायत 24 का हिस्सा 1/64, रेस्पोडेन्ट नं. 29 लगायत 31 का हिस्सा 3/8, रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 34 का हिस्सा 1/8 तथा रेस्पोडेन्ट नं. 35 लगायत 38 का हिस्सा 3/8 वा हिस्सा अवस्थित है। इसी प्रकार नया खाता सं. 42, पुराना 177 की भूमि खसरा नम्बर 3211 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 3214 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 3218 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 3219 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 3220 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 3221 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 3222 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 4064/3222 रकबा 0. 41 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.65 है. में से अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 का हिस्सा 5/32 रेस्पोडेन्ट नं. 6 लगायत 12 का हिस्सा 1/32 रेस्पोडेन्ट नं. 13 लगायत 19 का हिस्सा 1/32, रेस्पोडेन्ट नं. 20 लगायत 24 का हिस्सा 1/32 तथा रेस्पोडेन्ट नं. 29 लगायत 31 का 1/4 हिस्सा अवस्थित है। उक्तानुसार ही अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस अपने-अपने हक हिस्सो पर काबिज काश्त करते आ रहे है। उक्त सभी बातों की अनदेखी कर दावा जरिये राजीनामा से अपीलान्ट की अनुपस्थिति में खारिज किया गया है। इस प्रकार से निर्णय व राजीनामा विचारण न्यायालय निरस्त होने योग्य है। उक्त प्रकरण में निर्णय जरिए राजीनामा से दिनांक 22.05. 2019 को किया गया है। अपीलान्ट को उक्त विचारण न्यायालय में किये गये दावे के बारे में कतई ज्ञान नहीं था जब मौके पर रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 ने विवादित भूमि खाता संख्या 46 पुराना 178 की भूमि खसरा नम्बर 3472 रकबा 0.27 है., खसरा नम्बर 3473 रकबा 0.28 है., खसरा नम्बर 3474 रकबा 0.56 है. कुल किता 3 का कुल रकबा 1.11 है. में से अपीलान्ट के हक हिस्से पर तामीरात करने लगे व खाता सं. नया 44, पुराना 179 की भूमि खसरा नम्बर 4090/3107 रकबा 0.41 है., खसरा नम्बर 4091/3106 रकबा 0.43 है., खसरा नम्बर 4092/3105 रकबा 0.

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

29 है., ख.नं. 4093/1972 रकबा 0.91 है., ख.नं. 4094/1975 रकबा 0.25 है., खसरा नम्बर 4095/1976 रकबा 0.46 है., खसरा नम्बर 4096/3803 रकबा 0.32 है., ख.नं. 4097/3804 रकबा 0.41 है., कुल किता 8 कुल रकबा 3.48 है. पर अपीलान्ट के हक हिस्से की भूमि पर अतिक्रमण करने लगे। नया खाता सं. 42, पुराना 177 की भूमि खसरा नम्बर 3211 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 3212 रकबा 0.18 है., खसरा नम्बर 3213 रकबा 0.22 है., खसरा नम्बर 3214 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 3215 रकबा 0.35 है., खसरा नम्बर 3218 रकबा 0.34 है., खसरा नम्बर 3219 रकबा 0.07 है., खसरा नम्बर 3220 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 3221 रकबा 0.14 है., खसरा नम्बर 3222 रकबा 0.33 है., खसरा नम्बर 4064/3222 रकबा 0.41 है. कुल किता 11 कुल रकबा 2.65 है. में अपीलान्ट के हक हिस्से पर अतिक्रमण करने लग गये तब अपीलान्ट ने उन्हे रोका तब रेस्पोउेन्ट नं. 32 लगायत 38 ने एक राय होकर कहा कि उक्त भूमिया हमारी हो चुकी है विचारण न्यायालय ने राजीनामा हो चुका है तथा अपीलान्ट से कहा कि आपसे जरिए वकील राजीनामा हो चुका है। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में कोई तामील भी नहीं हुई है ना ही अपीलान्ट के पास कोई सम्मन व नोटिस ही प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से वादी व प्रतिवादीगण ने अपीलान्ट से साजीश रचकर कुटरचित राजीनामा पेश किया गया है। इस प्रकार से विचारण न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय व राजीनामा निरस्त होने योग्य है। अपील की मद संख्या 3 में भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 178 की भूमि में रेस्पोडेन्टस संख्या 29 लगायत 38 का कोई हक व हिस्सा नहीं है तथा भूमि खाता संख्या नया 44 पुराना 179 की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 25 लगायत 28 का कोई हक व हिस्सा नहीं है और इसी प्रकार भूमि खाता संख्या नया 42 पुराना 177 की भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 32 लगायत 38 का कोई हक हिस्सा नहीं है। परन्तु रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 ने नया खाता संख्या 46 व 42 का विचारण न्यायालय में दिनांक 02.06.2005 को वाद पत्र पेश कर अपना हक व हिस्सा जाहिर कर राजस्व रिकार्ड में बदलाव करवा दिया जिसका कोई हक व अधिकार रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 को नहीं है क्योंकि उक्त रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 ने राजस्व रिकार्ड में फेरबदल की कार्यवाही विचारण न्यायालय में एकपक्षीय कार्यवाही के द्वारा करवाई गई है जो सरासर गलत व अवैध है। जिसका अधिकार रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

को नहीं है। इस प्रकार से भी विचारण न्यायालय में किया गया राजीनामा व निर्णय अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अवैध व अवैधानिक है जो खारिज होने योग्य है। खाता संख्या नया 46 पुराना 178 व भूमि खाता संख्या नया 42 व पुराना 177 की भूमि में रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। क्योंकि जबसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू हूआ तब से रेस्पोडेन्टस नं. 32 लगायत 38 का कोई नाम दर्ज नहीं है ना ही उनके पूर्वजों का नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि नाराणा, हनुमान पुत्रगण गीदा के नाम से दर्ज रिकार्ड रही है उक्त भूमि के खाता सं. 46 व 42 की भूमि पैत्रिक भूमि नहीं है। रेस्पोडेन्टस नं. 32 लगायत 38 का उक्त खाता संख्या 46 व 42 की भूमियों में कोई लेना देना नही है। इसलिए अपीलान्ट से दावा के पक्षकारों ने कूटरचना कर राजीनामा से निर्णय अदालत हाजा में करवाया है। जो काबिले खारिज होने योग्य है। अपील के पैरा नं. 3 में बताये अनुसार ही अपील के पक्षकारान अपने—पने हिस्से पर मकानात व चाह आदि बनाकर पीढ़ियों से आबाद है उसी अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। इन सबकी अनदेखी कर विचारण न्यायालय में किया गया राजीनामा व निर्णय निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 विचारण न्यायालय में हुये राजीनामा दिनांक 22.05.2019 के पश्चात खाता नं. 46, 44, 42 की अपीलान्ट के हिस्से की भूमियों पर तामीरात व कब्जा करने की फिराक में है तथा अपीलान्ट को उक्त भूमियों के बेदखल करने की फिराक में है तथा अवैध व अनुचित एवं गैर कानूनी रूप से अपीलान्ट को उसके हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने व अपीलान्ट के हिस्से की भूमि को खुर्द—बुर्द करने व बेचान करने को अमादा है क्योंकि खाता शामलाती होने के कारण रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 अपनी नाजायज हरकतों से अपीलान्ट को बेबात हैरान व परेशान कर रहे है। यदि रेस्पोडेन्ट नं. 32 लगायत 38 अपनी गलत मंशा में सफल हो गये तो अनावश्यक मुकदमेबाजी बढ़ेगी व अपीलान्ट का काफी नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति भी किसी कदन संभव नहीं होगी। इस प्रकार से अपीलान्ट अपने अधिकारों की रक्षार्थ श्रीमान जी के समक्ष यह अपील पेश कर रहा है। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3472, 3473, 3474, 4090/3107, 4091/3106, 4092/3105, 4093/1972, 4094/1975, 4095/1976, 4096/3803, 4097/3804, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 4064/3222 वाके ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पंचलंगी का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी राजीनामें के आधार खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय में वादी रामेश्वर लाल पुत्र फुलाराम की ओर से घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05.2019 को वादी एवं अपीलान्ट को छोड़कर शेष प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है। आदेशिका पर वादी के हस्ताक्षर है। वादी के अधिवक्ता द्वारा पहचान कर हस्ताक्षर किये गये है। इस आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का न तो कोई काउन्टर क्लेम है, न ही विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का हित प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2025 (4) पेज 1396 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

अनिल कुमार II RAS
उप-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट नं. 3 ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 3472, 3473, 3474, 4090/3107, 4091/3406, 4092/3105, 4093/1972, 4094/1975, 4095/1976, 4096/3803, 4097/3804, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 4064/3222 वाके ग्राम झड़ाया नगर पटवार हल्का पंचलंगी का पेश किया। विचारण न्यायालंय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी राजीनामें के आधार खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय में वादी रामेश्वर लाल पुत्र फुलाराम की ओर से घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती, विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया था। इस वाद में अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 3 के रूप में पक्षकार था। विचारण न्यायालय ने दिनांक 22.05.2019 को वादी एवं अपीलान्ट को छोड़कर शेष प्रतिवादीगण ने राजीनामा प्रस्तुत कर वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया है। आदेशिका पर वादी के हस्ताक्षर है। वादी के अधिवक्ता द्वारा पहचान कर हस्ताक्षर किये गये है।

इस आधार पर विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। विचारण न्यायालय में अपीलान्ट का न तो कोई काउन्टर क्लेम है, न ही विचाराधीन निर्णय से अपीलान्ट का हित प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 7/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर